



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251144
CG-DL-E-04012024-251144

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 40]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 45(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में NH150A के मौजूदा चेनेज किमी. 112.750 से कि.मी. 142.000 (लिंगासुगुर से मुदबल क्रॉस) और किमी 147.070 से किमी 149.070 (मास्की सिटी सीमा) तक (जेवरगी चामराजनगर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एनएच धारवाड़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप

मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में NH150A के मौजूदा चेनेज किमी. 112.750 से कि.मी. 142.000 (लिंगासुगुर से मुदबल क्रॉस) और किमी 147.070 से किमी 149.070 (मास्की सिटी सीमा) तक (जेवरगी चामराजनगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: रायचूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लिंगसुगुर					
गांव का नाम: ऐदनहाल					
1	64	निजी	सूखा	21.5116 (वर्ग मीटर)	0.0021512
गांव का नाम: यलगलादिन्नी					
2	20	निजी	सूखा	3642.12 (वर्ग मीटर)	0.364212
3	70	निजी	सूखा	132.97 (वर्ग मीटर)	0.013297
4	72	निजी	सूखा	31.8109 (वर्ग मीटर)	0.0031811
5	73	निजी	सूखा	447.235 (वर्ग मीटर)	0.0447235
6	74	निजी	सूखा	26.1085 (वर्ग मीटर)	0.0026109
गांव का नाम: कराडकल					
7	190	निजी	सूखा	52.8275 (वर्ग मीटर)	0.0052828
8	192	निजी	सूखा	249.821 (वर्ग मीटर)	0.0249821
9	193	निजी	सूखा	224.8301 (वर्ग मीटर)	0.022483
10	194	निजी	सूखा	384.4698 (वर्ग मीटर)	0.038447
11	195	निजी	सूखा	174.1443 (वर्ग मीटर)	0.0174144
12	196	निजी	सूखा	304.1511 (वर्ग मीटर)	0.0304151
13	27	निजी	सूखा	80.0492 (वर्ग मीटर)	0.0080049
14	28	निजी	सूखा	39.2491 (वर्ग मीटर)	0.0039249
15	29	निजी	सूखा	146.6696 (वर्ग मीटर)	0.014667

16	395/1	सरकारी	सूखा	414.5537 (वर्ग मीटर)	0.0414554
17	395/2	निजी	सूखा	18.5735 (वर्ग मीटर)	0.0018574
18	407	निजी	सूखा	863.401 (वर्ग मीटर)	0.0863401
गांव का नाम:					
19	31	निजी	सूखा	809.36 (वर्ग मीटर)	0.080936
20	33	निजी	सूखा	2731.59 (वर्ग मीटर)	0.273159
21	34	निजी	सूखा	15985.06 (वर्ग मीटर)	1.59851
22	36	निजी	सूखा	2326.91 (वर्ग मीटर)	0.232691
23	38	निजी	सूखा	5868.06 (वर्ग मीटर)	0.586806
24	39	निजी	सूखा	4856.36 (वर्ग मीटर)	0.485636
25	56	निजी	सूखा	3844.46 (वर्ग मीटर)	0.384446
26	57	निजी	सूखा	13456.21 (वर्ग मीटर)	1.34562
27	58	निजी	सूखा	2023.4 (वर्ग मीटर)	0.20234
गांव का नाम: हुलीगुड्डा					
28	10	निजी	सूखा	1416.38 (वर्ग मीटर)	0.141638
29	11	निजी	सूखा	303.51 (वर्ग मीटर)	0.030351
30	394	निजी	सूखा	46.929 (वर्ग मीटर)	0.0046929
31	415	निजी	सूखा	441.3596 (वर्ग मीटर)	0.044136
32	61	निजी	सूखा	101.17 (वर्ग मीटर)	0.010117
33	62	निजी	सूखा	101.17 (वर्ग मीटर)	0.010117
34	63	निजी	सूखा	1112.87 (वर्ग मीटर)	0.111287
35	64	निजी	सूखा	1011.7 (वर्ग मीटर)	0.10117
36	66	निजी	सूखा	564.9116 (वर्ग मीटर)	0.0564912
37	8	निजी	सूखा	593.142 (वर्ग मीटर)	0.0593142
38	83	निजी	सूखा	43.736 (वर्ग मीटर)	0.0043736
39	85	निजी	सूखा	58.2439 (वर्ग मीटर)	0.0058244
40	9	निजी	सूखा	338.9529 (वर्ग मीटर)	0.0338953
गांव का नाम: लिंगसुगुर कस्बा					
41	12	निजी	सूखा	607.02 (वर्ग मीटर)	0.060702
42	13	निजी	सूखा	809.36 (वर्ग मीटर)	0.080936
43	17	निजी	सूखा	202.34 (वर्ग मीटर)	0.020234
44	18	निजी	सूखा	1821.06 (वर्ग मीटर)	0.182106
45	19	निजी	सूखा	505.85 (वर्ग मीटर)	0.050585
46	21	निजी	सूखा	303.51 (वर्ग मीटर)	0.030351
47	22	निजी	सूखा	303.51 (वर्ग मीटर)	0.030351
48	23	निजी	सूखा	101.17 (वर्ग मीटर)	0.010117

49	242	निजी	सूखा	2023.4 (वर्ग मीटर)	0.20234
50	245	निजी	सूखा	5868.06 (वर्ग मीटर)	0.586806
51	27	निजी	सूखा	202.34 (वर्ग मीटर)	0.020234
52	33	निजी	सूखा	1821.06 (वर्ग मीटर)	0.182106
53	34	निजी	सूखा	101.17 (वर्ग मीटर)	0.010117
कुल योग					7.9959864

[फा. सं. RW/NH/150A/KNT/2021-22-951/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 45(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH150A in the stretch of land from existing chainage Km. 112.750 to Km. 142.000 (Lingasugur to Mudbal cross) & from Km 147.070 to Km 149.070 (Maski City Limit) of (Jewaragi Chamarajnagar Section) in the district of RAICHUR in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer NH Dharwad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from existing chainage Km. 112.750 to Km. 142.000 (Lingasugur to Mudbal cross) & from Km 147.070 to Km 149.070 (Maski City Limit) of (Jewaragi Chamarajnagar Section) of NH 150A in the district of RAICHUR in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: RAICHUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lingsugur					
Village: Aidanhal					
1	64	Private	Dry	21.5116 (Square Meter)	0.0021512

Village: Yalagaladinni					
2	20	Private	Dry	3642.12 (Square Meter)	0.364212
3	70	Private	Dry	132.97 (Square Meter)	0.013297
4	72	Private	Dry	31.8109 (Square Meter)	0.0031811
5	73	Private	Dry	447.235 (Square Meter)	0.0447235
6	74	Private	Dry	26.1085 (Square Meter)	0.0026109
Village: Karadakal					
7	190	Private	Dry	52.8275 (Square Meter)	0.0052828
8	192	Private	Dry	249.821 (Square Meter)	0.0249821
9	193	Private	Dry	224.8301 (Square Meter)	0.022483
10	194	Private	Dry	384.4698 (Square Meter)	0.038447
11	195	Private	Dry	174.1443 (Square Meter)	0.0174144
12	196	Private	Dry	304.1511 (Square Meter)	0.0304151
13	27	Private	Dry	80.0492 (Square Meter)	0.0080049
14	28	Private	Dry	39.2491 (Square Meter)	0.0039249
15	29	Private	Dry	146.6696 (Square Meter)	0.014667
16	395/1	Government	Dry	414.5537 (Square Meter)	0.0414554
17	395/2	Private	Dry	18.5735 (Square Meter)	0.0018574
18	407	Private	Dry	863.401 (Square Meter)	0.0863401
Village: Bendarkarlkunti					
19	31	Private	Dry	809.36 (Square Meter)	0.080936
20	33	Private	Dry	2731.59 (Square Meter)	0.273159
21	34	Private	Dry	15985.06 (Square Meter)	1.59851
22	36	Private	Dry	2326.91 (Square Meter)	0.232691
23	38	Private	Dry	5868.06 (Square Meter)	0.586806
24	39	Private	Dry	4856.36 (Square Meter)	0.485636
25	56	Private	Dry	3844.46 (Square Meter)	0.384446

26	57	Private	Dry	13456.21 (Square Meter)	1.34562
27	58	Private	Dry	2023.4 (Square Meter)	0.20234
Village: Huligudda					
28	10	Private	Dry	1416.38 (Square Meter)	0.141638
29	11	Private	Dry	303.51 (Square Meter)	0.030351
30	394	Private	Dry	46.929 (Square Meter)	0.0046929
31	415	Private	Dry	441.3596 (Square Meter)	0.044136
32	61	Private	Dry	101.17 (Square Meter)	0.010117
33	62	Private	Dry	101.17 (Square Meter)	0.010117
34	63	Private	Dry	1112.87 (Square Meter)	0.111287
35	64	Private	Dry	1011.7 (Square Meter)	0.10117
36	66	Private	Dry	564.9116 (Square Meter)	0.0564912
37	8	Private	Dry	593.142 (Square Meter)	0.0593142
38	83	Private	Dry	43.736 (Square Meter)	0.0043736
39	85	Private	Dry	58.2439 (Square Meter)	0.0058244
40	9	Private	Dry	338.9529 (Square Meter)	0.0338953
Village: Lingsugur Kasba					
41	12	Private	Dry	607.02 (Square Meter)	0.060702
42	13	Private	Dry	809.36 (Square Meter)	0.080936
43	17	Private	Dry	202.34 (Square Meter)	0.020234
44	18	Private	Dry	1821.06 (Square Meter)	0.182106
45	19	Private	Dry	505.85 (Square Meter)	0.050585
46	21	Private	Dry	303.51 (Square Meter)	0.030351
47	22	Private	Dry	303.51 (Square Meter)	0.030351
48	23	Private	Dry	101.17 (Square Meter)	0.010117
49	242	Private	Dry	2023.4 (Square Meter)	0.20234
50	245	Private	Dry	5868.06 (Square	0.586806

				Meter)	
51	27	Private	Dry	202.34 (Square Meter)	0.020234
52	33	Private	Dry	1821.06 (Square Meter)	0.182106
53	34	Private	Dry	101.17 (Square Meter)	0.010117
Total					7.9959864

[F. No. RW/NH/150A/KNT/2021-22-951/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.